भूमण्डलीकरण के प्रभाव का समाजशास्त्रिय विश्लेषणः अनुसूचित जाति –जनजातियों के संदर्भ में

13

डॉ दत्तात्रय पालीवाल*

वर्ण व्यवस्था हिन्दू धर्म में सामाजिक विभाजन का एक आधार है। हिन्दू धर्म–ग्रंन्थों के अनुसार समाज को चार वर्णों में बाद में यह जन्माधारित हो गया। वर्तमान में हिन्दू समाज में इसी का विकसित रूप 'जाति–व्यवस्था' के रूप में देखा जा विभाजित किया गया है–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। विद्वानो का मत है कि आरंभ में यह विभाजन कर्म पर आधारित था लेकिन सकता है।[1] जाति व्यवस्था के इस सोपान तन्त्र में कालान्तर में प्रत्येक वर्ण से शनैः शनैः सैंकड़ों जातियाँ और उनकी उपजातियाँ बनती गई, जिसमें प्रत्येक जाति का अपना इतिहास एवं विशेषताएँ विद्यमान रही है, जिसके कारण प्रत्येक जाति के व्यवसाय, खान–पान, रीति–रिवाज, परम्पराएँ, धार्मिक क्रिया–कलाप एवं सामाजिक सम्बन्ध निश्चित और प्रतिबन्धित होते गये।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि जाति जन्म के आधार पर सामाजिक संस्तरण और खंड विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो खाने–पीने, विवाह, पैशा आदि के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिन्बधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है।

<u>अनुसूचित जातियॉ –</u>भारत में जाति सदैव एक अनोखी और जटिल व्यवस्था रही है, जिसके प्रभाव से कोई भी व्यक्ति अपने को अछूता नहीं रख पाया है। इस प्रकार जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का वह स्वरूप है, जो वैदिक युग से प्रारंभ होकर किसी न किसी रूप में आजतक निरंतर चली आ रही है। जिसके सोपान तन्त्र में सामाजिक ढ़ाचे में निम्नस्तर पर समाज का वह घटक है जिसे हम अनुसूचित जातियों के नाम से जानते है।

साधारणतः अस्पृश्य जातियों के अन्तर्गत वे जातियाँ आती है जो घृणित पैशों से अपनी जीविका अर्जित करती हैं। अस्पृश्यता मुख्य रूप से पवित्रता तथा अपवित्रता पर आधारित है। समाज में कुछ व्यवस्थाओं अथवा कार्यों को पवित्र समझा जाता है तथा कुछ को अपवित्र। इसी आधार पर पंचम वर्ण के लोगों को जो अपवित्र कार्यों में संलग्न थे उन्हें निकृष्ट एवं अपवित्र माना गया। उन्हें छूना मना था। उनके साथ उठना–बैठना, खाना–पीना या अन्य किसी प्रकार का सामाजिक संबध निषिद्ध था।

इस प्रकार दलित, हरिजन या अस्पृश्य जातियों से आशय उन लोगों से है जो संविधान की धारा 341(1) तथा (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों की श्रेणी में रखे गए हैं। सन् 1935 के अधिनियम में इन अस्पृश्य जातियों को कुछ विशेष सुविधाऐं प्रदान करने हेतु एक अनुसूची तैयार की गई थी, इसी कारण इन लोगों को अनुसूचित जाति के नाम से भी जाना जाता है।

* *रिसर्च एसोसिएट, कम्युनिटी मेडिसीन विभाग, आर. डी. गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र)*

अनुसूचित जनजातियॉ –भारत वास्तव में विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते है। जिनकी पृथक संस्कृति, पृथक धर्म, पृथक विश्वास एवं आस्थाऐं है। इन्ही समुदायो में से एक है आदिवासी समुदाय जिसकी देश की सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर में विशिष्ट भूमिका रही है।

गिलिन एवं गिलिन– ''स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जोकि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक समान भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहलाता है।''[2]

इस प्रकार जनजाति एक सामाजिक समुह है जो प्रायः निश्चित भु–भाग पर निवास करता है, जिसकी अपनी भाषा, सभ्यता तथा सामाजिक संगठन होता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य वे जनजातियों अथवा जनजातीय समुदाय के अंषों अथवा समुहों से है जो कि संविधान की धारा 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गये है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजातियों के नाम से पुकारा जाता है। डॉ.जी.एस.घूरिये इनके लिए पिछड़े हुए हिन्दू (Backword Hindus) षब्द का प्रयोग करते है।[3]

अनुसूचित जाति–जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति–

अनुसूचित जाति–जनजातियों की सामाजिक स्थिति प्राचीन काल से ही हिन्दू धर्म में निम्नस्तर की रही है। कई तरह की निर्योग्यताओं से तथा सामाजिक प्रतिम्बन्धों से ये जातियॉ पीड़ित थी तथा वर्तमान में भी पीड़ित है। जिससे उनकों जीवन में आगे बढ़ने तथा व्यक्तित्व विकास करने के अवसर बहुत कम मिले। परिणामस्वरूप उन्हें समाज की मुख्यधारा से वंचित दासों के समान जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा।

प्राचीन समय में अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थलों एवं सार्वजनिक जीवन के उपयोग के साधनों–जैसे कुओं से पानी भरना, स्कुलों और छात्रावासों में रहकर पढ़ना, अच्छे वस्त्र पहनना, सोने के आभुशण पहनना आदि की मनाही थी। तथा धोबी इनके कपड़े नही ध ाोते थे। नाई बाल नही काटते थे। सार्वजनिक सड़कों पर यह नही चल सकते थे।

अनुसूचित जातियों के लोग अपने परम्परागत व्यवसायों के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों को नही अपना सकते थे। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में इनको नौकरी नही देते थे। इस कारण उनको अन्य रोजगार के साधन बमुश्किल से ही उपलब्ध होते थे। परम्परागत व्यवसायों से प्राप्त सीमित आमदनी मे उनको अपना जीवन यापन करना होता था। कठिन परिश्रम करने के बाद भी इन्हें समाज के उच्च वर्ग द्वारा उसका उचित पारिश्रामिक नहीं दिया जाता था। तथा उनको पुराने वस्त्रों, झूठे अन्न और त्याज्य सामग्री पर निर्भर रहना पड़ता था और कुछ सीमा तक आज भी रहना पड़ता है। इस कारण अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति भी समाज मे निम्नस्तर की बनी रही।

वही दूसरी ओर आज भी अधिकांश अनुसूचित जनजातियाँ विकास की मुख्यधारा से अनजान सुदूर वनों, पहाड़ों एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि तथा

वनों पर आधारित होती है। भौगोलिक पृथकता के कारण वे समाज की मुख्यधारा से अलग–थलग सुविधाओं से वंचित जीवन जीने को विवश है, तथा प्रत्येक दृष्टि सें अत्याधिक पिछड़ें हुए होते है।

वर्तमान समय में अनुसूचित जाति–जनजातियों के बहुत कम लोग शासकीय तथा अशासकीय सेवा संस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शासकीय तथा अषासकीय सेवा संस्थाओं में दिया जाने वाला कार्य भी विशेषकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का है। उच्च पदों पर कार्य करने का अधिकार एवं अवसर इन्हें बमुकिल ही प्राप्त होता है। यदि हो भी गया तो समाज के उच्च वर्ग द्वारा इनके प्रति अनादर तथा घृणा के भाव देखने को मिलते हैं।

ग्रामीण अंचलों में इस वर्ग के बहुसंख्यक लोग मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को प्रायः आजीविका हेतु कार्यों में सलग्न होना पड़ता है। उनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर शोषण किया जाता है। उन्हें अस्पृश्य समझकर भेदभाव, छुआछूत के साथ–साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। हाल के वर्षों में मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में दलितों पर बढ़ते अत्याचार इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय समाज में आज भी इन्हें समस्तर पर स्वीकार करने की मानसिकता नहीं बन पाई है।[4] अनुसूचित जाति–जनजातियों के अधिकांश परिवार कम आय, रूढ़ीवादिता एवं दुर्व्यसनों में फंसे होने के कारण सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

भारत शासन द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त संरक्षण एवं विभिन्न सुविधाओं से अनुसूचित जाति–जनजातियों उत्थान के प्रयास हो तो होते रहे है किन्तु परिणाम आशाजनक नही है। जो की एक चिन्तनियं एवं विचारणिय तथ्य है।

<u>भूमण्डलीकरण का स्वरूप एवं मान्यता–</u>

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत शासन द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ–साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति अपनायी गई। फलतः बडे उद्योग एवं सार्वजनिक किस्म की सेवाओं को शासकीय या सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया तथा कृषि एवं अन्य उद्योग निजी क्षेत्र के अधीन रखे गये। आरंभिक काल में इस तरह की अर्थव्यवस्था से तमाम असुविधाओं के बावजूद भी प्रगति हुई क्योंकि नौकरशाही एवं राजनेताओं में त्याग एवं सेवा की भावना थी। किन्तु कालांतर में देश का परिदृश्य बदलता गया। त्याग एवं सेवाभावना का स्थान भ्रष्टाचार, कालाबाजारी आदि ने ले लिया। जिसके परिणामस्वरूप विकास की गति धीमी पड़ गई और अस्सी के दशक के समाप्त होते–होते देश की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में फंस गई। इस स्थिति से निपटने के लिये अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।

अतः भारत में 1990–91 में गहरे आर्थिक संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को तात्कालिक एवं दीर्घकालिक तौर पर संकट मुक्त करने के लिये 24 जुलाई 1991 को ब्रेटनवुडस् संस्थाओं (IMF,WB,GATT) के बाध्यताकारी प्रभाव से 'नवीन आर्थिक नीति' की घोशणा की गई । जिसे आर्थिक उदारीकरण का नाम दिया गया एवं उद्घोषित किया गया कि आज से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्वबाजार से जुड़ रही है। जिसमें आम नागरिक एवं राष्ट्र का हित होगा। तथा

उस घटना को भारतीय राष्ट्र–राज्य के वैश्विक अर्थव्यवस्था मे भागीदार बनने के रूप में प्रचारित– प्रसारित किया गया। नई आर्थिक नीति के तीन घटक उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण है।

आज हम जिस भूमण्डलीकरण के बारे में विमर्श करते है वह भले ही तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक नई घटना हो जिसका उद्भव बीसवी सदी के उत्तरार्ध या दो–तीन दशक पूर्व हुवा माना जाये, परन्तु विभिन्न समाजों के बीच पारस्पारिक आदान–प्रदान एवं संपर्क की भूमण्डलीय प्रवषत्तियाँ सदियों से प्रचलित रही थी। जिसमें ***वसुधैव कुटुम्बकम्*** की परम्परा बहुत पहले से ही चली आ रही है।

'भूमण्डलीकरण' या 'वैश्वीकरण' आज सर्वाधिक चर्चित शब्द है। जो व्यापार प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के साथ–साथ सांस्कृतिक पहलुओं के रूपांतरण को सार्वभौमिक दिषा की ओर इंगित करता है। भूमण्डलीकरण की प्रकिया आज सम्पूर्ण विष्व में सक्रियता से चल रही है। भूमण्डलीकरण वर्तमान आधुनिक युग की पहचान है। आधुनिकता का प्रतिनिधि है। सामान्यतः भूमण्डलीकरण विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक संम्बन्धों को विकसित करने वाली प्रक्रिया है, लेकिन सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की यह प्रक्रिया समाज के अन्य क्षेत्रों से भी संबंधित हो सकती है।

वेलेन्टाईन एम मोघदम के अनुसार–"वैश्वीकरण आर्थिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आयामों के साथ सामाजिक परिवर्तन की एक बहुआयामी प्रकिया है। जो कि समरूपता एवं विषमरूपता, असमानता तथा प्रतिस्पर्धा के नये रूपों एवं संगठन तथा लामबन्दी के अन्तर्देशीय रूपों को प्रतिबिम्बित करता है।[5]

भूमण्डलीकरण की प्रमुख मान्यता संपूर्ण विश्व में प्रतिबंधों एवं अवरोधों को समाप्त कर सार्वभैमिक व्यवस्था कायम करना है। इस प्रकार सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों का सम्पूर्ण विष्व तक विस्तार ही वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण है। अतः कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देंशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ने से है ताकि व्यावसायिक गतिविधीयों का विश्व स्तर पर विस्तार हो सके तथा देशों की प्रतिस्पध ार्त्मक क्षमता का विकास हो सके। वैश्वीकरण से दो और सशक्त प्रक्रियाऐं उदारीकरण एवं निजीकरण जुड़ी हुई है।

उदारीकरण वह आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें कठोरताऐं नही हो और प्रक्रिया सम्बन्धी अनावश्यक विलम्ब न हो, अतः लाइसेंसिंग प्रणाली और राजकीय नियन्त्रण को शिथिल करने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के अन्तर्गत प्रशासकीय अवरोंधों को दूर किया गया ताकि देश को आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके। निजीकरण सरकार के नियन्त्रण से बहार होकर कार्य करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई भी कार्य व्यक्तिगत स्तर पर या समूह एवं संगठन के स्तर पर किया जा सकता है।

इस प्रकार उदारीकरण के साथ ही निजीकरण को एक प्रभावी उपकरण माना गया। नवीन आर्थिक नीति में अपनाऐं गये प्रभावी सुधारवादी उपायों में आज उदारीकरण व निजीकरण अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के रूप में आगे बढ़ रहे है।

वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण की लहर पुरे विश्व में आज तेजी से फैल रही है। इसे आर्थिक सुधारों की दूसरी लहर अथवा दूसरी पीढ़ी के सुधारों के नाम से भी सम्बोधित किया गया है। भूमण्डलीकरण एक बहुआयामी खुली प्रक्रिया है जो कि आधुनिक युग में मानव समाज की आवश्यकता बनती जा रही है क्योंकि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आधुनिक मानव समाज की वैश्विक निर्भरता बढ़ती जा रही है। आज विश्व के सभी देश विकास के पथ पर आगे बढ रहे है, ऐसे में भूमण्डलीकरण की जड़े काफी गहरी होती जा रही है। इस प्रकार भूमण्डलीकरण ने हमे अंतराष्ट्रीय, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुत्र में बांधा है, तो वही दूसरी ओर इससे हमारी दैनिक कियाओं को भी प्रभावित किया है।

भूमण्डलीकरण का अनुसूचित जाति–जनजातियों पर प्रभाव–

भूमण्डलीकरण एक बहुआयामी एवं बहुमुखी व्यापक मुक्त प्रक्रिया है। अतः इसका प्रभाव भी बहुआयामी होता है। इसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों के लोगों पर एक जैसा नही होगा। क्योंकि समाज में सभी वर्गों की स्थिति एक जैसी नही है। प्रारम्भ में भूमण्डलीकरण के समर्थकों विद्वानों ने इस बात पर बल दिया था की खुली स्पर्धा–प्रतियोगिता हर प्रकार से लाभकारी होगी। किन्तु यहा ध्यान देने वाली बात यह है की बहुराष्ट्रीय कम्पनीयां एवं धनी वर्ग और समाज के कमजोर वर्ग के बीच कैसी प्रतियोगिता? यह तो ठिक वैसे हुआ की एक आलिशान कार में बैठा है और दूसरा पैदल और लंगड़ा भी है। अतः यहाँ विश्लेषण का मुख्य बिन्दु भूमण्डलीकरण का भारतीय समाज के कमजोर वर्ग–अनुसूचित जाति–जनजातियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर केन्द्रीत होगा। जिसे निम्नानुसार समझा जा सकता है।

वर्तमान में आर्थिक सुधारो के अन्तर्गत बड़े–बड़े उद्योगों को अत्यधिक महत्व दिये जाने से कुटीर उद्योग निरन्तर खत्म होते जा रहे है, तथा उनका स्थान मल्टीनेशनल कम्पनियां ले रही है। गावों में कुटीर उद्योगों में कार्यरत अनुसूचित जाति–जनजातियों के लोगों मे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। जिसके कारण उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्याऐं उत्पन्न हो रही है। परिणामस्वरूप जो भूमिहीन है तथा मजदूरी कर जीवन–यापन कर रहे है उन्हें रोजगार हेतु शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है।

शहरों में भी उद्योगों और कार्यालयों में काम्प्यूटर प्रणालि के विकसित होने से शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारी बढी है। जिससे अनुसूचित जाति–जनजातियों के युवाओं के समक्ष रोजगार एवं भरण–पोषण की समस्या बढ़ने लगी है। वही उन्हें कम वेतन पर अधिक कार्य करने को मजबूर होना पड रहा है।[6]

शासकीय सेवाओं में भी नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध सा लग गया है। अमेरिका की तर्ज पर नई नियुक्तियां ठेके पर एवं कम वेतन पर देने का प्रचलन बढ़ा है। वही केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौपने से अनुसूचित जातियों–जनजातियों के विकास की सम्भावनाऐं और भी कम हो रही है। क्योंकि निजी संस्थाओं में आरक्षण का लाभ उनको नही मिल पाता। जिससे इस वर्ग के लगभग 80 प्रतिशत लोग रोजगार पाने में असमर्थ हो रहे है। इस नीति में प्रशासकीय हस्तक्षेप कम होने से संचालकों या उद्योगपतियों की

मनमानी चलती है जिसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने हेतु कमजोरों का शोषण उनके द्वारा किया जा रहा है।

वही दूसरी ओर वन भूमि एवं वनों पर भारतीय एवं बहूराष्ट्रीय निगमों द्वारा तेजी से कब्जा किया जा रहा है। जिसके परिणामस्वरूप जनजातियों के आय एवं रोजगार पर भी बूरा प्रभाव पड़ा है। विदेशी निवेशको को किसानों की उपजाऊ जमीने कौड़ीयों के भाव दी जा रही है। जिससे किसान एवं खेतीकार्य से जुडे लोग बेरोजगार होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे है। कृषी सम्बन्धी आवश्यक संसाधन, खाद, बीज, बिजली, पानी आदी के अत्यधिक महंगे होने से तथा फसल का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण समाज के इस कमजोर वर्गों को अभावों में जीवनयापन करना पड़ रहा है।

वैश्वीकरण के कारण जीवनोपयोगी वस्तुओं का उपभोग एवं किमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिससे घरेलू खर्च, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, पेयजल, परिवहन, बिजली आदि आवश्यकताऐं महंगी होने से अनुसूचित जाति–जनजातियों के लोग प्रभावित हो रहे है। वही शोषण, भ्रष्टाचार, चोरी, लूटमार, व्यभिचार आदि घटनाऐं एवं युवाओं में नैतिक पतन की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिससे अनुसूचित जाति–जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पहले से अधिक बदतर हो रही है।

भूमण्डलीकरण के कारण पाश्चात्य संस्कृति और परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में पैर पसार रही है। जिसकी वजह से सामाजिक बदलाव और सम्बन्धों में खूलापन आया है। आज हमारे भारतीय संस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आती जा रही है। संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवार, अरेंज विवाह की जगह प्रेम विवाह होने लगे है। आज पाश्चात संस्कृति हमारे उपर इतनी हावी हो चुकी है की हम अपने माता–पिता को हाय डैड, हाय मौम कहने लगे है, जबकि हम इनके शब्दार्थ पर जाए तो इसका अर्थ और ही निकलकर आ रहे है।[07] अनुसूचित जाति–जनजातियों लोगों पर भी पाश्चात्य संस्कृति का असर देखा जा सकता है। खासकर बच्चों युवाओं और स्त्रियों की मनोवृत्तियों और आदतों, खान–पान एवं रहन–सहन में परिवर्तन आया है।

प्रौद्योगिकी एवं बढते नये–नये संचार साधनों, इंटरनेट का विस्तार, फैशन वृत्ति, उपभोक्तावादी संस्कृति, बैंक के ऋण सुविधा आदि के विस्तार एवं प्रचार–प्रसार से अनुसूचित जाति–जनजातियों के परिवारों की क्रय शक्ति बढी है वही वे ऋणी होने लगे है।

वैश्वीकरण के इस दौर में राज्य अधिकांष निर्णय बहूराष्ट्रीय निगमों, विष्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे वित्तीय संगठनों के दबाव में ले रही है। जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण विदेशी निवेश एवं मुक्त व्यापार को कई क्षेत्रों के लिये खोलना आदि परिणामस्वरूप छोटे व मध्यम उद्योग बंद हो रहे है। जिससे बेरोजगारी एवं असमानता में वृद्धि हो रही है।

इस प्रक्रिया का दुखद पहलू तो यह है कि अमीरी–गरीबी, षिक्षा, स्वास्थ्य, रहन–सहन, आचार–विचार, जीवीकोपार्जन के साधन सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति–जनजातियों के

सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, विषेश रूप सें शैक्षणिक स्थिति में–शिक्षा प्राप्त करने में अनेक व्यवधान उत्पन्न हो रहे है।

यह सार्वभौमिक समक्ष है कि कम से कम शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षैत्रों मे सरकार की ही मूल जिम्मेदारी होना चाहिए। दुनिया के किसी भी विकसित एवं सशक्त देश में सरकार शिक्षा की मूल जिम्मेदारी से नही मुकरती है। अमरीका जैसे घोर पूंजीवादी देश मे भी 90 फिसदी बच्चे सरकारी स्कूल में जाते है, बचे 10 फिसदी मे से 8 फिसदी धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे शैक्षिक संस्थाओं मे तथा 02 फिसदी निजी क्षेत्र की संस्थाओं मे पढ़ते है।[8] किन्तु भारत में ठिक इसके विपरित वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में शासन द्वारा निजी क्षत्रे की भागादारी को निरन्तर बढावा दिया जा रहा है। जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियाँ निरन्तर बढ़ रही है। जिसके कारण शिक्षा महंगी होती जा रही है। संपन्न वर्ग के बच्चे अधिक षुल्क एवं अधिक डोनेशन देकर अच्छे महाविद्यालयों में पढ़कर अपना भविष्य सुधार रहे हैं, वहीं अनुसूचित जाति–जनजातियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उनके बच्चे अच्छे महाविद्यालयों में अध्ययन करने से वंचित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति–जनजातियों का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनसंख्या के मान से प्रतिनिधित्व और भी कम हो रहा है। जो चिन्तनीय है।

उपसंहार–

वर्तमान में वैश्वीकरण की नीति के अन्तर्गत आर्थिक विकास के नाम पर बहूराष्ट्रीय कम्पनियों और देश के बड़े उद्योगपतियों द्वारा विलासिता भौतिक संसाधनों का अत्याधिक उत्पादन किया गया। जिसके कारण विदेशी माल की भरमार, हमारे लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, वैश्वीक रिटेल स्टोर से खुदरा विक्रेताओं के समक्ष जीविका का प्रश्न, छोटे और सीमान्त कृषकों का श्रमिक वर्ग में बदल जाना, शिक्षा का निजीकरण विशेषकर उच्च शिक्षा का निजीकरण होना, जन उपयोगी सेवाओं का स्तर घटना, अनुसूचित जाति–जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लोगों की कल्याणकारी योजनाओं पर कम ध्यान देना तथा उनकी उपेक्षा करना आदि बाते देश को एवं देश के युवा और अनुसूचित जातियों–जनजातियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। जिससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

जबकि भारत जैसे विषमतामूलक, विकासशील एव अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली राष्ट्रों के लिये भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण उपयुक्त नही है। यहॉ कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी, निरक्षरता, बेरोजगारी, पिछड़ेपन आदि समस्याओं से जुझ रहा है। इनके सामने अस्तित्व का घोर संकट है। भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, गेट, डंकल प्रस्ताव, विश्व बैंक आदि शब्दों के अर्थ कितने लोगों को समझ में आ रहे है? जिन लोगों का सामाजिक–आर्थिक जीवन ही संघर्षमय हो वह इन्हें कैसे समझ सकते है।[9] विशेष रूप से समाज का कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति–जनजातियां। वैसे भी प्रत्येक दृष्टिकोण से देखा जाये तो कमजोर वर्गों के लिये भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण शोषण का ही पर्याय है।

वर्तमान में प्रचलित भूमण्डलीकरण की नीति अनुसूचित जाति–जनजातियों के लिये शुभ सन्देश देने वाली नही है। क्योंकि रोजगार विहिन विकास की प्रक्रिया में सबसे अधिक उपेक्षा दलित एवं कमजोर वर्ग की ही होगी।[10]

भारत शासन द्वारा अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ और संरक्षण दिये जा रहे है। जिसका वास्तविक ध्येय समाज में एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना है, जिससे अनुसूचित जाति के सदस्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक स्तर पर उन्नत होकर समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष खड़े हो सके। अनुसूचित जाति–जनजाति के सदस्य जो भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा है, उनकी ओर पर्याप्त ध्यान दिए बिना भारतीय समाज को उन्नति के षिखर पर पहुँचाना कदापि संभव नहीं हो सकेगा।

<u>सुझाव–</u>

भूमण्डलीकरण के इस युग में शासन का दायित्व है की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इसका समुचित लाभ समाज के कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति–जनजातियों को मिले इसकी उचित व्यवस्था हो। समाज में शिक्षा के महत्व को बढा़या जाये क्योंकि समाज जितना साक्षर होगा उतनी ही समानताऐं भी बढ़ेगी तथा समाज में जाग:कता भी आयेगी। इस प्रकार शिक्षा अनुसूचित जाति–जनजातियों को नवीन आदर्शों एवं विचारो से परिचित करायेगी वही दूसरी ओर उनके आर्थिक जीवन में उन्नती लाने का प्रयास करेगी।

लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहान देकर शासन द्वारा उनका उचित पुनर्वसन करना चाहिए। जिससे गावों का स्वावलंबन बढ़ेगा। लोकतान्त्रीक शासन प्रणाली में शासन का दायित्व है की समाज के कमजोर वर्गों के विकास पर अधिक ध्यान दे। क्योंकि वैश्वीकरण के बढ़ते अभिषाप को समय रहते पहचान कर नही रोका गया तो यह सामाजिक आधार पर अन्याय होगा। क्योंकि यह व्यवस्था कमजोर को अधिक कमजोर बना रही है। वही आवश्यकता इस बात की है की शासन सामाजिक क्षेत्र में अपने निवेश को और बढ़ाये ताकि मानवीय पूंजी निर्माण के द्वारा लोगों की योग्यताओं को अधिक उन्नत किया जा सके।

असंगठित क्षेत्रों को संगठित क्षेत्रों का अंग बनाया जाये ताकि वे अच्छी नौकरिया आय एवं संरक्षण प्राप्त कर सके। अर्थात सरकार का दायित्व हो की असंगठित क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बढाया जाये उनकी तकनीक को उन्नत कर इस क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धी करे। इस हेतु श्रम कानुनों का कियान्वयन न्यायपूर्ण हो ताकि श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। छोटे उत्पादकों को तब तक सरकार संरक्षण दे जब तक वे प्रतिस्पर्धा करने लायक ना हो जाये।

अतः अनुसूचित जाति–जनजातियों को भी चाहिए कि वे अपने हितों की रक्षा करने और भूमण्डलीकरण के बढते प्रभाव का मुकाबला करने में सक्षम बने। इस हेतु डॉ. अम्बेडकरजी के समताकारी, वर्गविहिन समाज के उत्थान हेतु किये गये आव्हान रूपी अस्त्र–शिक्षित हो, संगठित हो संघर्श करो को आधार मानकर एकजुट होकर कारागर कदम उठाये अन्यथा हम भूमण्डलीकरण के इस दौर में पिछड़ते ही जायेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची –

01. डब्लूडब्लूडब्लू•विकिपीडिया•आर्ग/एस/2सीयू

02. गिलिन एवं गिलिन– कल्चरल सोषियोलाजी पृष्ठ क्र. 282

03. प्रो.एम.एल.वर्मा –समाजशास्त्र, पृष्ठ क.197, डॉ.डी.डी.शर्मा साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा–2008

04. डॉ.पाटील अशोक और– समाजशास्त्र परिचय,पृष्ठ क्र. 210,
डॉ. भदौरिया एस.एस प्रकाशन–मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल–2006

05. मोघदम वेलेन्टाईन एम– ग्लोबलाईजेशन एण्ड सोशल मूवमेन्टस,पृष्ठ क.03
राम्मेन एण्ड लिटिल फिल्ड पब्लिशर्स, ईक यू.एस.ए.2009

06. डॉ.उपाध्याय ज्योति– पूर्वदेवा (सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका), पृष्ठ क्र.18 प्रकाशक–मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी, उज्जैन, अक्टू 2012–मार्च 2013.

07. डब्लूडब्लूडब्लू•प्रवक्ता•कॉम/ग्लोबलाईजेशन–ए–करंट–एसेसमेंट, पृष्ठ क्र. 02

08. दैनिक पत्रिका–दिनांक 16.06.2015 पृष्ठ क्र.10

09. डॉ.अरूण कुमार –पूर्वदेवा (सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका), पृष्ठ क्र. 40 प्रकाशक–मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी, उज्जैन, अक्टूबर 2011–मार्च 2012.

10. डॉ.पालीवाल दत्ता=य – पूर्वदेवा (सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका), पृश्ठ क्र. 65 प्रकाशक–मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी, उज्जैन, एप्रिल –सितम्बर 2013.